दिनांक 08.03.2025

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित है। पत्रावली का परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आदेशिका पर संबंधित थाने से इस आशय की आख्या सहित प्राप्त है कि काफी तलाश के बाद भी इस नाम पते का कोई व्यक्ति नहीं मिला। विधि अनुसार सम्मन मामलों का निस्तारण 06 माह के भीतर किया जाना चाहिए।

उपरोक्त परिस्थितियों में धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अवलोकन किया जाना महत्वपूर्ण है जोकि यह प्रावधानित करती है कि–

कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति–" परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किये जाने के पश्चात इस प्रकार कार्यवाहियां रोकी जाती है, वहां दोषमुक्ति का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य प्रकार कार्यवाहियां रोकी जाती है, और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड सकता है और ऐसे छोडने का प्रभाव उन्मोचन होगा।"माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी समय समय पर मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित पुराने मुकदमें को निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत पुराने लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है एवं **C.L.No-8x(d)-1-MiscDR(1)/2013** दिनांकित 02 जुलाई 2013 द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा मोटर वाहन अधिनियम व अन्य क्षुद्र मामले **(Petty Cases)** के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में जब अभियुक्त अपने निवास स्थान पर दस्तयाब नहीं हो रहा है तथा मामला 06 माह से अभियुक्त की उपस्थिति हेतु लंबित चला आ रहा है, तो ऐसे में उपरोक्त प्रावधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर दिये गये दिशा–निर्देश के अनुपालनार्थ प्रस्तुत मामले की कार्यवाही धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत रोकी जानी न्यायोचित है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत अभियुक्त अभियोग से उन्मोचित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत रोकी जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। प्रस्तुत पत्रावली वीड आउट (weed out) नहीं की जायेगी। कार्यालय अनुपालन करे।

(सुमन भण्डारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बाजपुर
जिला–उधम सिंह नगर।